भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5289
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **कृषि विकास**
5289. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ओडिशा में कृषि विकास तथा किसानों के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए बजटीय आवंटन तथा वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ख) ओडिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से कृषि अनुसंधान, नवाचार तथा विस्तार गतिविधियों के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) राज्य में जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने तथा फसल उत्पादकता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) ओडिशा में कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या तथा उनका कुल मूल्य कितना है, जिसमें गोदाम, शीत भंडारण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र-वार वितरण का ब्यौरा क्या है तथा क्या स्वीकृत ऋणों का वितरण निर्धारित समय-सीमा के अनुसार किया जा रहा है; और
(ङ) विशेषकर कटाई उपरांत हानि के संकेतकों के संदर्भ में इन पहलों के उल्लेखनीय परिणाम क्या हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): ओडिशा राज्य में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित एवं जारी किए गए बजट का विवरण **अनुबंध 1** में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने ओडिशा में किसानों के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 33 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्थापित किए हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा में केवीके को 19776.21 लाख रुपये आवंटित किए गए और उनका उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने हेतु राज्य के 9 केवीके राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) परियोजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। इन केवीके ने जलवायु-अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 4859 फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेसन आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, जलवायु-अनुकूल तकनीकों के बारे में जागरूकता लाने और जलवायु सजगता बढ़ाने के लिए क्रमशः 2854 और 7856 किसानों के लाभ हेतु 134 क्षमता निर्माण कार्यक्रम और 259 विस्तार गतिविधियां आयोजित की गईं।

राज्य में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने और फसल उत्पादकता में सुधार के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्मों को बढ़ावा देना, बाजरा पर विशेष जोर देते हुए फसल विविधीकरण, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के अंतर्गत कुशल जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, प्राकृतिक कृषि पद्धतियां और किसानों को समय पर सलाह देने हेतु डिजिटल और विस्तार सेवाओं को मजबूत करना शामिल है। सरकार दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भी लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बेहतर करते हुए और आयात पर निर्भरता कम करके दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ ही पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस) भी लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षण देकर, निशुल्क बीज वितरित करके और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई किस्मों और प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है।

सूखे, बाढ़, चक्रवात, हीट वेव, कोल्ड वेव, ओलावृष्टि और पाले जैसी गंभीर जलवायु संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पहचान कर विकसित की गई और किसानों के समक्ष किए गए। फसल वृद्धि अवधि के दौरान नमी की कमी को दूर करने, मध्य-मौसम के सूखे के प्रभाव को कम करने, फसल सघनता, फसल उपज और आय बढ़ाने के लिए स्थान-विशिष्ट मृदा और नमी संरक्षण पद्धतियाँ, हरित खाद, जीरो टिलिंग और कुशल सिंचाई विधियाँ विकसित और प्रदर्शित की गई हैं। समय पर बुवाई, मानसून में देरी की स्थिति में सामुदायिक नर्सरी, जल-बचत आधारित धान की खेती के तरीके जैसे शुष्क बीज वाली धान और बारी-बारी से वेटिंग और ड्राइंग, हरित खाद, भीषण गर्मी वाले क्षेत्रों में रबी फसलों की बुआई समय को आगे बढ़ाना, बागवानी में पाला प्रबंधन आदि जैसी कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया ताकि परिवर्तनशील जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव को कम किया जा सके। देश के 151 अत्यधिक संवेदनशील जिलों में एनआईसीआरए के माध्यम से ये अनुकूलन प्रयास चल रहे हैं, जिनमें ओडिशा (क्योंझर, भद्रक, केंद्रपारा, जगतसिंहपुर, ढेंकनाल, पुरी, गंजाम, कालाहांडी, बोलंगीर) भी शामिल हैं। अब तक, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली कृषि के अनुकूलन और शमन के लिए देश भर में 7.57 लाख किसानों और अन्य हितधारकों के लाभार्थी 25501 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(घ): निधियों का वितरण परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण चरणों में किया जाता है और यह एआईएफ दिशानिर्देशों और समय-सीमाओं के अनुसार की जाती है। 11.03.2026 तक, ओडिशा में, 5227 परियोजनाओं के लिए एआईएफ के अंतर्गत ₹2487.16 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। आईआईएम अहमदाबाद द्वारा किए गए प्रभाव आकलन अध्ययन के अनुसार, एआईएफ के कारण फसलोपरांत होने वाले नुकसान में औसतन 5 से 15% तक की उल्लेखनीय कमी आई है जो भंडारण, प्रसंस्करण और मशीनीकरण प्रणालियों में सुधार के कारण हुई है, जिससे दक्षता में वृद्धि और उपजों के नुकसान में कमी आई हैं। भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और प्राथमिक प्रसंस्करण के क्षेत्रवार विस्तृत वितरण का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ङ): सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से फसलोपरांत प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाओं के अंतर्गत वैज्ञानिक भंडारण अवसंरचना, कोल्ड चेन सुविधाएं और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण से कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ी है और बर्बादी कम हुई है। बेहतर लॉजिस्टिक, ग्रेडिंग और मूल्यवर्धन से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी सहायता मिली है। इसके अलावा, डिजिटल निगरानी और क्षमता निर्माण प्रयासों ने आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को मजबूत किया है, जिससे खेत से बाजार तक उपज की समयबद्ध आवाजाही सुनिश्चित हुई है।

अहमदाबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा किए गए तृतीय-पक्ष प्रभाव आकलन के अनुसार, एआईएफ समर्थित इकाइयाँ लगभग 13.2 लाख प्रत्यक्ष और 6.2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की क्षमता रखती हैं। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- **फसलोपरांत नुकसान में कमी:** एआईएफ के हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप फसलोपरांत नुकसान में औसतन 5 से 15% की कमी आई है, जिसका कारण बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और मशीनीकरण प्रणालियों है जो दक्षता को बढ़ाती हैं और सभी उपजों की बर्बादी को कम करती हैं।

- **बाज़ार पहुंच:** बेहतर लॉजिस्टिक्स और एकत्रीकरण अवसंरचना में 10 से 25% तक सुधार हुआ और नए बाज़ारों तक पहुंच संभव हुई। कुल मिलाकर, लगभग 38% लाभार्थियों ने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में बेहतर एकीकरण की सूचना दी। औसतन, लगभग 56% लाभार्थियों ने बेहतर गुणवत्ता आश्वासन और बाज़ार एकीकरण के कारण प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार की सूचना दी।

- **मूल्य प्राप्ति:** बेहतर भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और बिक्री को स्थगित करने की क्षमता के माध्यम से 63% एआईएफ लाभार्थियों ने बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ। आय में 11 से 25% तक की वृद्धि की सूचना मिली है, जिसमें कोल्ड-चेन, कंपोजिट और प्रोसेसिंग में सर्वाधिक सुधार देखा गया है।

अनुबंध।

ओडिशा राज्य के संबंध में 2022-23 से 2025-26 तक योजनावार आवंटन और रिलीज

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मिशन/योजना का नाम	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
क	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	**आवंटन**	**रिलीज**	**आवंटन**	**रिलीज**	**आवंटन**	**रिलीज**	**आवंटन**	**रिलीज**
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-डीपीआर	90.06	19.61	55.91	46.76	55.91	45.61	92.07	82.87
2	कृषि मशीनीकरण (एसएमएएम) मिशन	60.00	0.00	33.00	33.00	49.50	70.87	93.36	86.85
3	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	65.00	16.25	70.00	118.51	76.00	18.26	54.21	48.78
4	सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ)	8.26	0.00	6.68	6.68	6.18	6.03	11.25	10.19
5	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	15.00	3.75	15.41	7.70	16.00	8.92	9.83	8.92
6	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीआई)	7.41	3.71	10.00	7.91	7.47	6.07	8.36	4.18
7	कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ)*			2.00	1.49	5.00	2.50	9.00	8.50
	कुल आरकेवीवाई	245.73	43.32	193.00	222.05	216.06	158.26	278.08	250.29
ख	कृषोन्नति योजना								
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	52.95	13.24	57.57	28.79	99.94	79.96	76.70	38.35
2	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयलपाम	6.70	0.00	8.92	4.46	19.08	7.74	40.52	15.23
3	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन	15.04	6.36	18.75	9.38	30.87	16.02	27.90	19.42
4	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	41.00	20.50	55.13	33.68	45.00	15.30	48.00	24.00
5	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)	43.00	43.00	38.15	43.99	39.00	39.00	62.50	50.00
6	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	7.00	0.00	4.75	0.32	5.00	4.21	2.31	2.31
7	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	3.50	0.00	0.60	0.00	3.46	1.73	1.24	1.24
8	डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम)	0.00	0.00	0.00	1.46	21.22	21.22	22.73	19.58
9	दलहन आत्मनिर्भरता मिशन							33.57	20.00
10	कुल केवाई	169.19	83.10	183.87	122.08	263.57	185.19	315.48	190.13
ग	कुल (आरकेवीवाई+केवाई)	414.92	126.42	476.84	342.64	479.63	350.64	593.56	440.42

नोट: * कृषि वानिकी (एसएमएएफ) योजना 2022-23 में बंद कर दी गई थी और 2023-24 में शूरू की गई

अनुबंध II

एआईएफ की स्थापना के बाद से 11 मार्च 2026 तक ओडिशा में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण और धनराशि की संख्या

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृति राशि (करोड़)
1	जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयाँ	3	2.80
2	कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन	40	45.38
3	समग्र परियोजनाएं	9	92.90
4	कस्टम हायरिंग सेंटर	2173	541.35
5	फार्म/हार्वेस्ट ऑटोमेशन	1481	308.64
6	स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा	60	21.95
7	एकीकृत प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण इकाई	12	13.99
8	लॉजिस्टिक सुविधा	65	9.52
9	मशरूम की खेती	20	23.93
10	जैविक आदानों का उत्पादन	11	26.88
11	अन्य	271	125.24
12	पैकेजिंग इकाइयाँ	2	0.82
13	पीएचएम गतिविधियाँ	9	4.81
14	पीएम कुसुम घटक क	4	22.80
15	पीएम-कुसुम कॉम-ख और कॉम-ग	8	0.04
16	पॉली हाउस/ग्रीनहाउस	12	5.95
17	राज्य या उनकी एजेंसियां द्वारा प्रचारित पीपीपी परियोजनाएं	3	3.60
18	प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र	577	813.12
19	राईपनिंग चैंबर्स	5	4.16
20	सिलोस	2	0.75
21	छंटाई और ग्रेडिंग इकाई	61	37.84
22	फसलों के निर्यात समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचा	1	0.03
23	वेयरहाउस	398	380.65
	कुल	5227	2487.16
